<table>
<tr>
<td>तारीख हुक्म</td>
<td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

ओमप्रकाश दांतीवाड़ा बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार जोधपुर)

सू.अ.अ. अपील संख्या 32 / 2021</td>
<td>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td>
</tr>
<tr>
<td>17.03.21</td>
<td>अपीलार्थी ओमप्रकाश दांतीवाड़ा, पता अखिल भारतीय किसान सभा कार्यालय गांधी टॉवर चौथी मंजिल, गांधी अस्पताल के सामने, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.12.20 में उसके द्वारा (1) जोधपुर तहसील के समस्त ग्रमों में सन् 1969 से लगाकर 1970, से 1980 तक में प्रशासन गांवों के संग अभियानों के दौरान ग्रामवासियों द्वारा विभिन्न प्रकरणों के प्रस्ताव भूमि आवंअन सलाहकार समिति को प्रस्तुत किये थे, उक्त समिति द्वारा किये गये निर्णयों की सम्पूर्ण पत्रावलियों व उपरोक्तानुसार वर्णित अभियानों की सम्पूर्ण पत्रावलिया व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा धारा 6(3) के तहत प्रार्थना पत्र तहसीलदार जोधपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया। तहसीसलदार जोधपुर द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सूचना अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td>
<td></td>
</tr>
</table>